DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/ML-3258 जयपुर, दिनांक 19-09-19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :–

क.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	1841	श्री नीरज सिंघल	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक–धोलपुर, जिला–धोलपुर	1. DSSSB, Delhi – DASS Grad – 2nd Exam 2019
2.	2154	श्री नलिन वर्मा	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक–लाडनूं, जिला–नागौर	1. Central University of Rajasthan- Information Scientist Exam 2019
3.	2880	श्री पंकज कुमार	कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर वृत–प्रथम	1. RRB, Junior Engineer Stage-II Exam 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(बी.एस.नाथावत)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/ जयपुर ,दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबधित विभागाध्यक्ष......................।
2. संबधित कर्मचारी..............................।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव